AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)
(Regd No. S/2999 of 1966-67)
FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006
Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	VISHNU BHARGAVA	VINAY NARANG
PRESIDENT	Hony. General Secretary	Hony. Treasurer
Mobile : 9891008503	Mobile : 9811139614	Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/152 दिनांक : 2–8–2017

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाई जानते है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। कई करदाताओं के पास जो स्टॉक 30 जून 2017 का पड़ा है उसके विषय में असमंजस की स्थिति है कि उसे इसका Input Credit कैसे, किन–किन को मिलेगा एवं इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ?

साथियों, 30 जून तक वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स कानून था लेकिन 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है। 30 जून तक स्टॉक के बारे में यह सबका बड़ा सवाल एवं भ्रम पैदा हो गया है कि जिन सामानों पर वैट मौजूदा कानून के अनुसार लगाया जाता है क्या वह जीएसटी वैट में एसजीएसटी में परिवर्तित किया जाएगा। इसी तरह, जब एक्साइज ड्यूटी लगायी जाती थी तो अब एक्साइज ड्यूटी में सीजीएसटी में बदल दिया जाएगा। क्या करदाता जीएसटी में 30 जून 2017 को पड़े शेयर का श्रेय देगा या विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न हर मन में उभर रहें है ?

प्रश्न 1. यदि करदाता वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो जीएसटी में वह किस तरह से स्टॉक का प्रबंधन करेगा ?

उत्तर :– निम्नलिखित दो चीजों को स्टॉक के क्रेडिट का लाभ उठाने पर विचार किया जाना चाहिए।

1. यदि वैट 30 जून 2017 के वैट रिटर्न में देय है, तो करदाता ने इनपुट का श्रेय लिया है, फिर क्रेडिट लेने का कोई सवाल ही नहीं है।

2. अगर वैट 30 जून 2017 के वैट रिटर्न में Input Credit बकाया है, तो अतिरिक्त कर क्रेडिट उपलब्ध है, तो करदाता को SGST में अग्रेषित की गई राशि का श्रेय मिलेगा। SGST दायित्व में समायोजित किया जा सकता है।

प्रश्न 2. यदि किसी भी कर योग्य व्यक्ति को एक्साइज कानून के तहत पंजीकृत किया जाता है, तो वह जीएसटी में स्टॉक का कैसे सेट कर सकता है ?

उत्तर :– यह वैट जैसा भी है। यदि करदाता एक्साइज लॉ के तहत पंजीकृत है तो अगर 30 जून 2017 के एक्साइज रिटर्न में, एक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया जाता है तो सेट–ऑफ का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर एक्साइज ड्यूटी आगे बढ़ती है तो करदाता को CGST के खिलाफ उसका लाभ मिलेगा। करदाता भी जीएसटी में कैपिटल गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी पर लाभ नहीं उठा सकते है।

प्रश्न 3. अगर किसी भी कर योग्य व्यक्ति को एक्साइज कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो क्या वह GST में स्टॉक का Input Credit का लाभ मिलेगा ?

उत्तर :– यदि करदाता उत्पाद शुल्क कानून के तहत पंजीकृत नहीं है लेकिन वह वैट कानून में पंजीकत है, तो वैट का श्रेय SGST के खिलाफ लिया जा सकता है लेकिन CGST के बारे में क्या होगा। इस मामले में, यदि करदाता एक्साइज इनवॉइस जो स्टॉक में हैं, तो GST में 100% क्रेडिट उपलब्ध है। लेकिन अगर उस बिल पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया गया है, तो GST दरों के अनुसार निम्नलिखित तरीके से क्रेडिट दिया जाएगा।

1. अगर GST में 18% या 28% में शामिल स्टॉक है, तो स्टॉक के क्रेडिट के रूप में CGST का 60% लाभ उठाया जा सकता है। पूर्व। यदि स्पेयर पाट्स पर GST का 18% दर है, तो 30 जून को आयोजित स्टॉक के मुकाबले 5.4% क्रेडिट (9% CGST का 60%) उपलब्ध है।
2. अगर GST में 5% या 12% में शामिल स्टॉक है, तो CGST का 40% स्टॉक के क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है। पूर्व। यदि किसी भी वस्तु पर GST की 12% की दर है, तो 2.4% क्रेडिट (CGST के 6% का 40%) 30 जून को आयोजित स्टॉक के मुकाबले उपलब्ध है। GST करदाता में माल की बिक्री के समय उपरोक्त क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा करदाता को छह महीने के भीतर इस क्रेडिट का उपयोग करना होगा।

कृ0प0उ0.....2

प्रश्न 4. जीएसटी में स्टॉक का श्रेय लेने के लिए करदाता को क्या करना चाहिए ?
उत्तर :– स्टॉक के क्रेडिट का दावा करने के लिए करदाता को TRAN 1 & TRAN 2 फॉर्म दर्ज करना होगा। इस फॉर्म में HSN विवरण इसकी मात्रा इसकी दर, कुल मूल्य दिया जाना चाहिए। यह जानकारी 90 दिनों के भीतर सरकार को दी जानी चाहिए। पिछले स्टॉक का श्रेय अर्थात एक वर्ष से अधिक पुराने स्टॉक उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि यदि सामान 30 जून 2016 के बाद खरीदे जाते हैं तो केवल क्रेडिट लिया जा सकता है।
निष्कर्ष : प्रत्येक व्यापारी को स्टॉक के इन प्रावधानों को सावधानी से समझाना चाहिए। सभी को खातों की सभी पुस्तकों की जॉच करने के बाद यदि आवश्यक हो तो वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वैट की संशोधित वापसी दर्ज करनी चाहिए और फिर अप्रैल से जून में दाखिल करना होगा। करदाता को वैट के साथ मिलना चाहिए, एक्साइज रिटर्न में पुस्तकों की किताबों के साथ और फिर केवल सरकार को उपरोक्त फॉर्म को दर्ज करें।

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/153

कई रिकॉडर्स को बनाए रखने से स्वतंत्रता जीएसटी के तहत, एक रिकार्ड प्राप्त है

1. जीएसटी में अनुपालन सत्यापन खातों और अभिलेखों की परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो।
2. एक कर, रिकॉर्ड की एक प्रकार : वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स के युग के रूप में विभिन्न प्रकार के करों के लिए अलग–अलग रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
3. खातों और अभिलेखों के स्वरूप का चयन करने के लिए स्वतंत्रता होगी और आवश्यक जानकारी केवल निर्धारित है। रिकॉर्ड कंप्यूटर प्रिटंआउट या डिजिटल रिकॉर्ड सहित कागज आधरित स्रोत दस्तावेजों का रूप ले सकते हैं।
4. आवश्यक अभिलेख निम्न हैं :–
   क) माल और सेवाओं के सभी रिकॉर्ड, जो एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान आपूर्ति या प्राप्त करता है।
   ख) आयात किए गए सामानों के सभी रिकॉर्ड : तथा
   ग) जीएसटी के लिए अपने दायित्व को दिखाने के लिए अनुबंध और दर सूची(contracts and price quotation) जैसे कोई अन्य सहायक दस्तावेज।
5. डिजिटल जीएसटीः रिकॉर्ड भी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में बनाए जा सकते हैं।
6. जहां कर योग्य व्यक्तियों के लिए एक निश्चित वर्ग निर्धारित नियमों के अनुसार रखे और रखरखाव नहीं कर सकता है, आयुक्त उन्हें निर्धारित रूप से अन्यथा बनाए रखने के लिए अनुमति दे सकते हैं।
7. 2 करोड़ से कम के कारोबार वाले कर योग्य व्यक्तियों को अपने खातों का लेखा–परीक्षा नहीं मिलना चाहिए या वार्षिक रिटर्न के साथ सामंजस्य बयानों को जमा करना होगा।
8. एजेंटों, ट्रांसपोर्टरों और गोदाम रखते वालों द्वारा रखे जाने वाले सरल अभिलेखः

एजेंट : एजेंट के रूप में काम करने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल की और से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां भी लागू हो) या प्रिंसिपल की ओर से दिए गए सभी विवरणों और विवरणों के विवरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और प्रत्येक मूलधन के लिए प्रस्तुत खातों का विवरण।

ट्रांसपोटर : माल परिवहन के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को परिवहन और वितरित माल के सरल रिकॉर्ड और उसके द्वारा माल या डिलवरी के दौरान में संग्रहीत सामान को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

गोदाम रखवाले : एक गोदाम या गोदाम का संचालन करने वाले व्यक्ति को प्रेषण, आंदोलन, रसीद, निपटान और अवधि के संबंध के रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है जिसके लिए माल गोदाम या गोदाम में रहता है।

(इन्द्रजीत सिंह)
चेयरमैन, कर उपसमिति